राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1997 / 2002

शक्ति सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन, राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने कनिष्ठ प्रारूपकार (jr.draftsman) के पद पर दिनांक 15.10.1966 को नियुक्ति दी गई थी। आदेश दिनांक 01.10.1976 के द्वारा अपीलार्थी वरिष्ठ प्रारूपकार (Sr.draftsman) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। दिनांक 01.04.1976 से राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि. (आरटीडीसी) का गठन किया गया। दिनांक 05.10.1979 को अपीलार्थी की सेवाएं राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि. (आरटीडीसी) को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई। दिनांक 17.10.1979 से 30.09.1982 तक अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि. में कार्यतरत रहा और उसका lien पैतृक विभाग में रहा। अपीलार्थी को दिनांक 30.09.1982 को आरटीडीसी में स्थाई रूप से समावेश कर लिया गया। अपीलार्थी की पूर्व में पीडब्ल्यूडी विभाग में दी गई सेवाएं पेंशन योजना के अंतर्गत थी। इसलिए अपीलार्थी (नियम–158) राजस्थान सेवा नियम के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु अपीलार्थी को राजकीय आदेश संख्या–5 के तहत ही लाभ दिया गया, जबकि अपीलार्थी राजकीय आदेश संख्या–4 के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने अधिकारी था। अपीलार्थी राजकीय आदेश संख्या 4 के तहत Proportaionate pension प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए दिनांक 15.10.1966 से 30.09.1982 तक की सेवाओं के लिए Proportaionate pension दिये जाने की मांग की है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह तर्क दिये गये हैं कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि. ने अपने पत्र दिनांक 17.01.1982 (प्रदर्श आर–5) ने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने अपनी सेवायें निगम में अन्तिम रूप से समावेश करने हेतु निवेदन किया है तथा इनकी सेवायें निगम में समावेश करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनापत्ति चाही गई, जो इस विभाग के पत्र दिनांक 24.08.1982 द्वारा प्रदान की गई। इसके पश्चात् राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि. ने अपने पत्र दिनांक 25.04.1994 द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी की सेवायें दिनांक 01.10.1982 से स्थाई रूप से निगम में समावेश ली गई है, चूंकि निगम में अब पेंशन योजना लागू कर दी गई है, अतः राजस्थान सेवा नियम, 158 निर्णय संख्या 5(2) के तहत अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार में की गई सेवा अवधि का पेंशन अंशदान निगम में भिजवाने की व्यवस्था करावें । तत्पश्चात् विभाग के पत्र दिनांक 30.07.2003 (प्रदर्श आर–8) द्वारा अंशदान की राशि रू.6927/– एवं ब्याज की राशि रू. 2922/– कुल राशि रू. 9849/– का बैंकर चौक निगम को भिजवाया गया। अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण के संबंध में उप शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 14.02.2001 द्वारा वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 200 दिनांक 31.01.2001 के अनुसरण में अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण को राजस्थान सेवा नियमावली के नियम 158 के नीचे दिये गये राजस्थान सरकार के निर्णय (5) के प्रावधानानुसार निस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तद्पुरान्त विभाग के पत्र दिनांक 03.11.2001 द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाया गया। विभाग को प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के आधार पर ही राजस्थान सेवा नियमावली के नियम 158 के नीचे दिये गये राजस्थान सरकार के निर्णय (5) के प्रावधानानुसार अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण निस्तारित किया गया है। अपीलार्थी का कथन निराधार है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को उसकी राजकीय सेवा अवधि 15.10.1966 से 30.09.1982 तक के सेवानिवृत्ति लाभ राजस्थान सेवा नियम के नियम–158 के नीचे दिये गये राजकीय निर्णय संख्या 5 के अनुसार दिया गया है, जबकि अपीलार्थी का कथन रहा है कि अपीलार्थी राजस्थान सेवा नियम के नियम –158 राजकीय निर्णय संख्या–4 के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। नियम–158 के नीचे राजकीय निर्णय संख्या–4 में ऐसे राजकीय कर्मचारियों के बारे में प्रावधान दिया गया है, जिनकी सेवाएं एक निकाय/निगम को स्थानांतरित

की गई है। उक्त प्रावधान में स्थाई राज्य कर्मचारी, जिनके हस्तांतरण के दिन 25 वर्ष की राजकीय सेवाएं नहीं हुई है, उनके संबंध में पेंशन/भविष्य निधि लाभ के संबंध में निम्न प्रावधान रखा गया है:–

(ग) पेन्शन/भविष्य निधि लाभ : (1) एक कर्मचारी जो पेन्शन योजना के अन्तर्गत हो वह विकल्प देकर निम्न अंकित में से एक लाभ चुन सकेगा :–

(i) राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा के एवज में उसके अनुपात में पेन्शन/ग्रेच्युटी, प्रभावी नियमों के अनुसार प्राप्त कर ले, अथवा

(ii) उपर्युक्त भाग (i) में उल्लिखित पेन्शन/ग्रेच्युटी तथा उनसे सम्बन्धित पेन्शन सम्बन्धी लाभों के एवज में स्वायत्तशासी संस्था/निकाय/राजकीय उपक्रम द्वारा संधारित प्रोविडेन्ट फन्ड योजना में सरकार से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन की गई सेवा में समय– समय पर आहरित वेतन का 8 प्रतिशत तथा उस पर समय–समय पर प्रभावी साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त कर ले तथा जोधपुर राज्य के कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड योजना से शासित कर्मचारीगण यदि उन्हें नियमों के अनुसार स्वीकार हो तो विशेष अंशदान भी प्राप्त करेंगे। अंशदान की राशि तथा उस पर स्वीकार्य ब्याज की राशि पर अग्र अंकित दर से ब्याज, से दिया जायेगा :–

(क) राज्य कर्मचारी से स्वायत्तशासी संस्था में स्थायी स्थानान्तरण की तारीख से 29.8.1971 तक	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख) 30.8.1971 से उस तारीख तक जिस दिन वह राशि उस स्वायत्तशासी संस्था द्वारा संधारित प्रोविडेन्ट फण्ड लेखों में सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में जमा होने की तारीख तक ।	नियमित रूप से संधारित प्रोविडेन्ट फण्ड लेखों के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से

4. उक्त प्रावधान के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा के अनुपात में पेंशन/ग्रेचुटी प्रभावी नियमों के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन रहा है कि उपरोक्त प्रावधान अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी स्वेच्छा से आरटीडीसी

विभाग में गया था। अपीलार्थी ने स्वयं निगम में अपनी सेवाएं अंतिम रूप से समावेश कराने हेतु निवेदन किया था, जो आटीडीसी के पत्र दिनांक 17.08.1982 से प्रकट होता है, जो पत्र प्रत्यर्थी विभाग ने रिजोईंडर के शपथ पत्र के साथ अनुलग्नक–5 के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह भी कथन है कि ऐसी परिस्थिति में जहां कर्मचारी के खुद के निवेदन पर निगम में समावेश किया गया हो, वहां राजकीय निर्णय संख्या–4 लागू नहीं होता है, बल्कि इस संबंध में राजकीय निर्णय संख्या 5 लागू होता है। हमारे द्वारा राजकीय निर्णय 5 का अवलोकन किया गया, जो निम्नप्रकार से है :–

> 5–[वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.7.1968 (निर्णय संख्या 4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो स्वतन्त्र निकायों/निगमों में कर्मचारियों की सेवाओं/स्थानान्तरण की शर्तें निर्धारित करता है। एक प्रश्न उठाया गया है कि उन कर्मचारियों को किस रूप से समझा जाये जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया था तथा जो नियुक्त हो चुके थे एवं जो प्रारम्भ में अपनी स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर गए थे तथा जिन्हें बाद में वहाँ नियमित नियुक्ति प्रदान की गई या जो बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वतन्त्र निकायों में सीधी भर्ती या सेवा के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये जायें। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों पर उपर्युक्त आदेश के प्रावधान लागू नहीं होते।

5. उपरोक्त राजकीय निर्णय संख्या 5 से स्पष्ट है कि वे कर्मचारी जो स्वेच्छा से स्वयं निकायों में गये है, उन पर निर्णय संख्या–4 लागू होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का स्वेच्छा से आरटीडीसी विभाग में अंतिम रूप से समावेश किया जाना प्रकट होता है, क्योंकि अपीलार्थी स्वयं के निवेदन पर अंतिम रूप से समावेश हुआ था, जो आरटीडीसी के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 17.08.1982 से परिलक्षित होता है। ऐसे में राजकीय निर्णय संख्या 5 के अनुसार अपीलार्थी पर राजकीय निर्णय संख्या 4 लागू नहीं होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग ने राजकीय निर्णय संख्या 5 के अनुसार ही अपीलार्थी को लाभ दिया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।
6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)